सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–2024/336 दर्ज तिथिः–06.08.2024

1. जोगाराम पुत्र डालुराम
2. जुगताराम पुत्र देवाराम
3. अमराराम पुत्र देवाराम
4. जसाराम पुत्र देवाराम
5. तिलाराम पुत्र देवाराम
6. मगनाराम पुत्र देवाराम
7. जेठी देवी पत्नी देवाराम

जाति जाट निवासी बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा बाडमेर

..........................प्रार्थी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र दुदाराम
2. जसाराम पुत्र दूदाराम
3. किशनाराम पुत्र मुलाराम
4. लक्ष्मणराम पुत्र मुलाराम
5. रूखमो देवी पत्नी मुलाराम
6. रूखमों देवी पत्नी कुम्भाराम
7. अर्जुनराम पुत्र सताराम
8. दलाराम पुत्र जोगाराम
9. लाखाराम पुत्र जोगाराम
10. आसुराम पुत्र मेहराराम
11. हीराराम पुत्र मेहराराम
12. भगवानाराम पुत्र मेहराराम
13. भोमाराम पुत्र शोभाराम
14. सुरताराम पुत्र कोशलाराम
15. कुम्भाराम पुत्र कोशलाराम
16. खमाराम पुत्र कोशलाराम
17. निम्बाराम पुत्र कोशलाराम
18. धुडी देवी पत्नी कोशलाराम
19. भेराराम पुत्र शोभाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested

20. कनको देवी पत्नी हीराराम
21. कमला देवी पत्नी हीराराम
    जाति जाट निवासी बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा बाडमेर
22. लेहरों पत्नी नगाराम
23. चुनाराम पुत्र ईसराराम
24. पीथाराम पुत्र ईसराराम
    जाति राईका निवासी सडेचा
25. ईशराराम पुत्र खेराजराम
26. थानाराम पुत्र खेराजराम
27. भूराराम पुत्र खेराजराम
28. रूपाराम पुत्र खेराजराम
29. सताराम पुत्र खेराजराम
30. हीरो देवी पुत्री खेराजराम
31. तुलसी देवी पत्नी खेराजराम
32. अचलाराम पुत्र पेमाराम
33. पूराराम पुत्र पेमाराम
34. रतनाराम पुत्र पेमाराम
35. सुखदेव पुत्र रामाराम
36. खेमी पत्नी रामाराम
    जाति जाट निवासी सडेचा
37. जीयाराम पुत्र नगाराम
38. दुर्गाराम पुत्र नगाराम
39. मांगाराम पुत्र नगाराम
40. रिडमलराम पुत्र नगाराम
    जाति जाट निवासी बुधरोंणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा बाडमेर

.................असल विप्रार्थी

41. प्रबंधक जेटीजीबी बैंक होडू
42. तहसीलदार नोखडा

.....................तरमीम विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश कडवासरा
अप्रार्थीगणः—एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

संशोधित निर्णय तिथिः–09.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 59 / 1 / 22.6116 है0, 59 / 8 / 5.3799 है0, 58 / 0.0566 है0, 59 / 3 / 24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखडा के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार नोखडा के आदेश दिनांक 09.05.2024 की पालना में दिनांक 24.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 24.05.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार नोखडा को पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1348 दिनांक 08.08.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 30.08.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 में लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 59 / 1 / 22.6116 है0, 59 / 8 / 5.3799 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा का ही नेखमबंदी हेतु आदेश दिये गये हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अपने सम्पूर्ण खसरा संख्या 59 / 1 / 22.6116 है0, 59 / 8 / 5.3799 है0, 58 / 0.0566 है0, 59 / 3 / 24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाड़मेर हेतु आवेदन किया गया था। अंत में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थी के पीछे रहे खसरा संख्या खसरा संख्या 58 / 0.0566 है0, 59 / 3 / 24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का भी नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 59/1/22.6116 है0, 59/8/5.3799 है0, 58/0.0566 है0, 59/3/24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाड़मेर की नेखमबंदी हेतु आवेदन किया गया था। परंतु लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 59/1/22.6116 है0, 59/8/5.3799 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा का ही आदेश पारित किया गया है। उक्त बहस के अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पीछे रहे खसरा संख्या 58/0.0566 है0, 59/3/24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाड़मेर को शामिल करते हुए खसरा संख्या 59/1/22.6116 है0, 59/8/5.3799 है0, 58/0.0566 है0, 59/3/24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाड़मेर की नेखमबंदी हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)*** *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2076–2079 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखडा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 24.05.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखडा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 59/1/22.6116 है0, 59/8/5.3799 है0, 58/0.0566 है0, 59/3/24.5936 है0 वाके ग्राम बुधरोणी हुडों की ढाणी तहसील नोखडा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखडा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखडा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह संशोधित आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested